

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक -प.2(9)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक

27 SEP 2019

---अधिसूचना---

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित स्थानों पर उनके समक्ष उल्लेखित क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय सृजित एवं विनिर्दिष्ट करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमा (राजस्व जिला)
1.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सीकर	सीकर	सीकर
2.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द
3.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	चित्तौडगढ
4.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, चूरू	चूरू	चूरू
5.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जालोर	जालोर	जालोर
6.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर

राज्यपाल के आदेश से


(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, सीकर/
राजसमन्द/ चित्तौडगढ/ चूरू/ जालोर/ जैसलमेर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।


27/9/23
(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव